समन्वित जलग्रहण क्षेत्र विकास की तकनीक

TECHNIQUE FOR INTEGRATED WATERSHED DEVELOPMENT

डा. एन. डी. यादव
डा. एम. एल. सोनी
डा. आर. के. बेनीवाल

यश पब्लिशिंग हाउस
बीकानेर- 334004 ; राजस्थान

भूमिका

भारतवर्ष का लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र अभी भी वर्षा आधारित खेती पर निर्भर हैं। सिंचित क्षेत्र की खेती में पिछले तीन दशकों में आशातीत प्रगति हुई है, एवम् निकट भविष्य में इसको आगे बढाने की अधिक संभावना नहीं हैं। अतः इक्कीसवीं सदी में भारतवर्ष का बढ़ता पशुधन व जनसंख्या की चारा तथा खाद्यान्न, कपड़ा, ईंधन आदि की पूर्ति हेतु वर्षा आधारित शुष्क एवम् अर्धशुष्क क्षेत्र की कृषि के समग्र विकास की विपुल संभावना व आवश्यकता हैं।

वर्षा आधारित खेती विकास हेतु उचित जल प्रबन्धन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू हैं क्योंकि शुष्क एवम् अर्धशुष्क खेती की उत्पादकता बढाने में जल की कमी ही सबसे अधिक बाधा उत्पन करती हैं। समन्वित जलग्रहण क्षेत्र विकास भारत सरकार द्वारा चलायी गयी एक ऐसी उपयुक्त योजना है जो वर्षा आधारित शुष्क एवम् अर्धशुष्क क्षेत्र में कृषि उत्पादकता बढाने में कारगर सिद्ध हुई है। इस योजना के अन्तर्गत जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्ध के द्वारा वर्षा के पानी का संरक्षण कर उसका कृषि उत्पादकता बढाने में अधिक से अधिक उपयोग किया जाता हैं। इस योजना में कृषि विकास के सभी मुख्य घटकों, जैसे फसल उत्पादन, चारागाह विकास, वानिकी, कृषि– वानिकी, बागवानी, चरागाह–बागवानी, सस्य–वानिकी, पशुपालन एवम् कृषि आधारित उद्योगों का स्थानीय लोंगो की भागीदारी से समन्वित विकास किया जाता हैं। इस योजना में समग्र कृषि विकास की योजना बनाने से लेकर योजना की क्रियान्विति तक सभी कार्य जन भागीदारी से किया जाता हैं। साथ ही सामाजिक न्याय की अवधारणा के अनुसार जलग्रहण क्षेत्र के सभी सामाजिक वर्गो जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, एवं अन्य पिछडी जातियों के लोगों को उचित प्राथमिकता व भागीदारी दी जाती हैं। इसी प्रकार क्षेत्र के आर्थिक रुप से पिछडे वर्गो जैसे भूमिहीन कृषकों, मजदूरों व कुशल कारीगरों को भी उचित सहभागिता दी जाती है।

अतः यदि ग्रामीण, इस योजना को ठीक से समझकर राज्य व भारत सरकार की विकास संस्थाओं के माध्यम से, विशेष कर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण व पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से, अपने–अपने गांवों की भूमि को जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर बांट कर उसके समग्र विकास की योजना तैयार करके, जन सहभागीदारी एवं संपूर्ण समर्पण की भावना से कार्य करें तो राजस्थान के शुष्क मरुस्थल को हरेभरे खेतों में

परिवर्तित किया जा सकता हैं व राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष किये जाने वाले अकाल राहत खर्च को कम किया जा सकता हैं।

समन्वित जलग्रहण–क्षेत्र–प्रबन्ध आधारित कृषि विकास की उचित तकनीक, कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधान संस्थान, जैसे केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), बीकानेर, राजस्थान कृषि विश्वविधालय, बीकानेर एवम् कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, कृषि भवन, बीकानेर द्वारा विकसित की गई है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बीकानेर के माध्यम से काजरी के प्रादेशिक अनुसंधान स्थल, बीकानेर द्वारा समन्वित जलग्रहण क्षेत्र प्रबंध के विषय में समय–समय पर निर्मित जलग्रहण क्षेत्र विकास समिति के सदस्यों को भी प्रशिक्षण दे कर तैयार किया गया है। जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्ध की आधुनिक तकनीक से जिले की कृषि विकास से संबधित सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को अवगत करवाया गया है। परन्तु अभी तक समन्वित जलग्रहण क्षेत्र विकास से संबधित तकनीक की जानकारी अग्रेजीं भाषा में ही उपलब्ध है। अतः किसान भाई एवम् कृषि विकास से संबन्धित क्षेत्रीय कार्यकर्ता इस तकनीक का पूरा लाभ नहीं उठा सके हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही इस पुस्तक में समन्वित जलग्रहण क्षेत्र विकास की अति आधुनिकतम तकनीक को साधारण हिन्दी भाषा में लिखा गया हैं। इस पुस्तक में लेखको ने जलग्रहण क्षेत्र विकास हेतु भारत सरकार द्वारा निर्मित नयी कार्य प्रणाली को विस्तृत रुप से आलेखित किया है। इसके साथ–साथ कृषि, पशुपालन एवं वानिकी के विकास हेतु उपलब्ध उत्तम तकनीकों को भी एकत्र कर एक साथ लाने का प्रयास किया गया हैं। क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के संरक्षण एवं उनके विकास तथा प्रबंधन आदि का सक्षिप्त विवरण एक साथ संग्रहीत करने की कोशिश की गयी है। वर्षा जल संरक्षण के साथ–साथ क्षेत्र की उपयुक्त फसलों की काश्त का वर्णन भी किया गया हैं। यह पुस्तक जलग्रहण विकास क्षेत्र में कार्यरत कार्यकर्ताओं, कृषि विकास से जुड़े व्यक्तियों, ग्राम पंचायतों एवं कृषि विभाग आदि को सही मार्ग दर्शन दे सकेगी। आशा है कि जल ग्रहणक्षेत्र प्रबन्धन की अति आधुनिक परन्तु सरल तकनीक को अपनाने से मरुक्षेत्र के चहुमुखी विकास में आशातीत प्रगति होगी। यह पुस्तक सरल हिन्दीं भाषा में लिखी गई हैं, ताकि व्यक्ति इस तकनीक को आसानी से समझ सकें।

हम इस पुस्तक के लेखन एवं प्रकाशन में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुप से सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों का आभार प्रकट करते हैं। हम श्री शुदेस कुमार मोदी, वरिष्ठ लिपिक एवं श्री प्रतुल गुप्ता के भी आभारी हैं जिन्होने हस्तलिपि का टंकण करने में सहयोग प्रदान किया हैं।

लेखकगण